

विज्ञापन

महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5,
पंचकुला

टेलीफोन 0172-2560120, 2560453

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका क्रमांक 12938/2014 - 'महासिंह भूरानिया बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक 06.8.2014 की पालना में विज्ञापन न0. 2/2012, कैटेगरी न0. 1 व 2 के तहत चयनित उम्मीदवार जो दिनांक 29.12.2014 से 16.3.2015 तक तथा दिनांक 09.04.2015, 10.04.2015 को अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर देने हेतु किन्ही कारणों से उपस्थित नहीं हो पाये। ऐसे सभी अनुपस्थित उम्मीदवारों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि दिनांक 4.11.2015 को प्रातः 10 बजे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के कार्यालय में स्थित अध्यापक भवन में जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित हों एवं सरकार द्वारा जारी अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड साथ लाएं। यदि आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो पासपोर्ट, वोटर कार्ड या पैन कार्ड आदि एवं बिना चश्मे की तीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो (जिसमें फोटो का 60 प्रतिशत भाग साफ चेहरा वाला हो) साथ लेकर आए। यदि कोई अभ्यर्थी अपने अंगूठों के निशान, हस्ताक्षर का नमूना एवं फोटो का मिलान करवाने में अभी भी असफल रहता है या उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा व अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यह जानकारी विभागीय वेबसाईट www.harprathmik.gov.in पर देख सकते हैं।

संयुक्त निदेशक प्रशासन
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।